



छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

(छ.ग.शासन का उपक्रम)

मुख्यालय "बीज भवन" रविग्राम, तेलीबांधा जी.ई.रोड रायपुर (छ.ग.)

फोन नं.: 0771-4212201-228, फैक्स नं.: 0771-4046039, 4269654

ई-मेल : cgbkvn_homs@yahoo.co.in

क./मुख्या./बी.कृ.वि.नि./ई-कृषि/2023-24/7744 रायपुर, दिनांक 18/10/2023
प्रति,

जिला प्रबंधक,

रायपुर/बलौदाबाजार/दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/राजनांदगांव/जगदलपुर
(बस्तर)/बिलासपुर/जांजगीर/रायगढ़/अम्बिकापुर (सरगुजा)/धमतरी/
महासमुंद/कवर्धा/कांकेर/कोरबा/कोरिया/जशपुर/दंतेवाड़ा/मुंगेली/
गरियाबंद/बलरामपुर/बीजापुर/गौरेला/खैरागढ़/कोण्डागांव/मनेन्द्रगढ़/
मोहला/सक्ती/सारंगढ़/सुकमा/सूरजपुर/नारायणपुर


विषय :- ई-कृषि के व्यवसाय के प्रचालन के संबंध में।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि ऑनलाईन (ई-कृषि) पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु जिला प्रबंधक को निम्नलिखित अनुसार कार्य निर्देशित किया जाता है :-

क्रेता विभाग द्वारा ई-कृषि के माध्यम से प्रेषित किये गये ऑनलाईन ऑर्डर्स को जिला प्रबंधक बीज निगम द्वारा जाँचकर आगे संबंधित वेंडर को प्रेषित किया जायेगा।

1. ऑनलाईन प्राप्त आर्डर्स को यदि किसी कारणवश कैंसल करना चाहते हैं, तो इस हेतु 02 दिवस के भीतर ऑनलाईन कैंसल कर सकते हैं। 02 दिनों के अंदर कैंसल न करने की स्थिति में ऑनलाईन कैंसलेशन नहीं हो पायेगा।
2. वेंडर्स द्वारा ई-कृषि के माध्यम से किये गये इंसपेक्शन रिक्वेस्ट को जिला प्रबंधक बीज निगम द्वारा जाँचना तथा इंसपेक्शन रिपोर्ट को ई-कृषि पोर्टल पर अपलोड करना निर्देशित है।
3. इंसपेक्शन रिपोर्ट में प्रदायक सामग्री के चार फोटो, longitude तथा latitude भरना अनिवार्य है।
4. वेंडर द्वारा ऑनलाईन प्राप्त इंसपेक्शन रिक्वेस्ट को जिला प्रबंधक द्वारा 7 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाये।


प्रबंध संचालक
मुख्यालय, रायपुर

